रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 11 मई, 2024 ई० (वैशाख 21, 1946 शक संवत्) [संख्या 19**

## विषय-सूची

**हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।**


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य | | रु0 |
| भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस | 337–346 | 3075 |
| भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया | 451–474 | 1500 |
| भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण | .. | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत | .. | 975 |
| भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश | 11–12 | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश | | 975 |
| भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये | | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट | | |
| भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये | | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट | | |
| भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां | 59–72 | |
| भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि | 413–418 | 975 |
| स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र | .. | 1425 |

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

# वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग–1

नियुक्ती / तैनाती

29 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 आडिट-1-316 / दस-2022–विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री बजरंगी सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रेड पे-6,600 / –, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11), सहकारी समितियां एवं पंचायतें, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रेड पे-7,600 / –, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12), मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ (मुख्यालय) के पद पर पदोन्नत करते हुए मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय उ0प्र0, लखनऊ (मुख्यालय) में संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्त / तैनात किये जाने का श्री राज्यपाल महोदया द्वारा आदेश प्रदान किया जाता है।

2– श्री बजरंगी सिंह को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत माना जायेगा।

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।

# श्रम विभाग

अनुभाग–5

14 जुलाई, 2023 ई0

सं0 I / 349770 / 2023 / छत्तीस-5-2023–निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अन्तर्गत कार्यरत श्री प्रमोद कुमार पुण्डीर, उप निदेशक, सेवायोजन को नियमित चयनोपरान्त अपर निदेशक, सेवायोजन (ग्रेड वेतन-8,700, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने के श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती हैं।

2– श्री प्रमोद कुमार पुण्डीर, अपर निदेशक, सेवायोजन अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर उक्त वेतनमान में तत्काल कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3– श्री प्रमोद कुमार पुण्डीर, अपर निदेशक, सेवायोजन को एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव।

## मत्स्य उत्पादन विभाग

22 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 45/2022/1521/सत्रह-म-2022-17-1001(009)/322/2019–लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-29(4)/10/एस-2/पी/2021-22, दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 द्वारा ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त श्री सिद्दू राम यादव को सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर प्रोन्नत किये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है।

2– अतः लोक सेवा आयोग के उक्त पत्र दिनांक-20 अक्टूबर, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के साथ ही कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-1(7)(क) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार श्री सिद्दू राम यादव, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक (ज्येष्ठता क्रमांक-09) को उनसे कनिष्ठ श्रीमती नीतू सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-10) के सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर प्रोन्नति की तिथि 07 जून, 2022 से सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर नोशनल पदोन्नति एवं योगदान की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने तथा मत्स्य निदेशालय में रिक्त सहायक निदेशक मत्स्य के पद व स्थान पर एतदद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3– उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

4– उक्त पदोन्नत अधिकारी को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवानियमावली 1993 यथा संशोधित 2001 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 यथासंशोधित 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव।

## नियोजन विभाग

स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन–2

पदोन्नत

27 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 (2901/22)1/16/35-STC-2/2014-29–विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन के श्री मनोज कुमार गुप्ता, शोध अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-11 रु0-67,700-2,08,700 में नियमित रूप से पदोन्नत किया जाता है।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
सचिव।

# कृषि विभाग

अनुभाग–1

कार्यालय-ज्ञाप

05 जून, 2023 ई0

सं0 844 / 12-1-23-111 / 19टी0सी0–उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 समूह-''ख'' (विकास शाखा) में कार्यरत, श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी (ज्येष्ठता क्रमांक-232) को पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-1 (समूह-क) में उप कृषि निदेशक स्तर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 / – में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

2– श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी की पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1357 / 2022 राजित राम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

# राजस्व विभाग

अनुभाग–5

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2018 ई0

सं0 76 / 2018 / 1574 / 1-5-2018-72 / 2017–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विद्यमान जिला इलाहाबाद का नाम, जिला प्रयागराज के रूप में परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

23 नवम्बर, 2018 ई0

सं0 1705 / 1-5-2018-101 / 2018–राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1956) की धारा 13 और उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उप-धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल विद्यमान जिला फैजाबाद का नाम, जिला अयोध्या के रुप में परिवर्तित करती हैं।

2–श्री राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव।

# परिवहन विभाग

अनुभाग–3

विज्ञप्ति / नियुक्ति

26 जून, 2023 ई0

सं0 1103 / तीस-3-2023–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2021 के आधार पर उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) हेतु चयनित एवं संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल वेतन बैन्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 / – ग्रेड पे0 रु0 5,400 / – (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500 / –) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के रूप से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए, प्रशिक्षण हेतु परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में तैनात करते हैं–

| क्र0 | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | अनुक्रमांक | जन्मतिथि | वर्ग | पता / मोबाइल नम्बर / ईमेल आईडी | तैनाती का स्थल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | सर्वश्री / सुश्री– | | | | | | |
| 1 | सौम्या पाण्डेय | श्री हरीराम पाण्डेय | 363829 | 05.07.1993 | सामान्य | ग्राम-कंता दुबे, पोस्ट-घेचुयन, थाना-दखीरा, खलीलाबाद, संतकबीर नगर। मो0नं0-7905826079, ईमेल-saumyapandey1323@gmail.com | कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, टिहरी, कोठी, लखनऊ। |
| 2 | आलोक कुमार | श्री सुभाष चन्द्र | 183855 | 05.02.1992 | ई0 डब्लू0 एस0 | 8-52, शिवानी ज्वैलर्स, मेन मार्केट, फराह, मथुरा, 281122 मो0नं0-8802958096, ईमेल-agrawal.alok90@gmail.com | ,, |
| 3 | प्रियंवदा सिंह | श्री शिष्य पाल सिंह | 079286 | 11.08.1995 | अनु0 जाति | शिष्य पाल सिंह पुत्र स्व0 रोशन लाल, ग्राम एवं पोस्ट-गुड़गांव वाया राम नगर, बरेली, उ0प्र0 पिन कोड-243303 मो0नं0-8447507499, ईमेल-singh.priyamvada000@gmail.com | ,, |

2–उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात आधारभूत प्रशिक्षण उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसकी व्यवस्था परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की जायेगी। संबंधित अधिकारियों का सेवा में बना रहना, निर्धारित प्रशिक्षण का संतोषजनक ढंग से उनके द्वारा सम्पन्न करने के अधीन्त होगा।

3–उपरोक्तानुसार नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी–

I–उपर्युक्त सभी अधिकारी प्रारम्भ में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेगें। प्रशिक्षण काल की अवधि परिवीक्षा अवधि में सम्मिलित रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि बढ़ायी भी जा सकती है।

II–इनकी नियुक्ति पूर्णरूपेण अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा इसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

III–इनकी सेवाएं "उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)" की अधीन होंगी तथा समस्त अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

IV–इनका स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ इनकी ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

V–तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

## पदोन्नति

06 जुलाई, 2023 ई0

सं0 89/2023/1675/30-3-2023-75जीई/2017–परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री विनीत कुमार मिश्र, (ज्येष्ठता क्रमांक-258), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान-वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु0-5,400) को नियमित चयनोपरान्त उनके कनिष्ठ श्री अजय मिश्र (ज्येष्ठता क्रमांक-259) की प्रोन्नति की तिथि 06 जून, 2023 से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान-वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु0-6,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री मिश्र अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कर यथावत कार्य करते रहेंगे।

07 अगस्त, 2023 ई0

सं0 101/2023/2286/तीस-3-2023–परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री लक्ष्मीकांत, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100/–, ग्रेड वेतन रु0 5,400/– (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैंट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/–) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। श्री लक्ष्मीकांत की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-2639/रिट ए/2022 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

2–श्री लक्ष्मीकांत, नवप्रोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। श्री लक्ष्मीकांत की पारस्परिक ज्येष्ठता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर यथासमय यथानियम बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री लक्ष्मीकांत को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) फतेहपुर के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है। श्री लक्ष्मीकांत उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

सं0 102/2023/2149/तीस-3-2023—परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री नरेन्द्र यादव, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100/—, ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैंट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/—) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री नरेन्द्र यादव, नवप्रोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। श्री नरेन्द्र यादव की पारस्परिक ज्येष्ठता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर यथासमय यथानियम बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री नरेन्द्र यादव को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गोरखपुर के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है। श्री यादव उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

सं0 104/2023/2287/तीस-3-2023—परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत डॉ0 सुजीत कुमार सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100/—, ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैंट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/—) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—डॉ0 सुजीत कुमार सिंह, नवप्रोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। डॉ0 सुजीत कुमार सिंह की पारस्परिक ज्येष्ठता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर यथासमय यथानियम बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—डॉ0 सुजीत कुमार सिंह को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) झांसी के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है। डॉ0 सुजीत कुमार सिंह उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

सं0 105/2023/2288/तीस-3-2023—परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री राजेश कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100/—, ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैंट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/—) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री राजेश कुमार, नवप्रोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। श्री राजेश कुमार की पारस्परिक ज्येष्ठता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर यथासमय यथानियम बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री राजेश कुमार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) उरई के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है। श्री राजेश कुमार उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

27 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 111/2023/2720/30-3-2023-63जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री वी0के0 सोनकिया, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को नियमित चयनोपरान्त विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश अथवा

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी, ग्रेड वेतन रु0 10,000/– पुनरीक्षित पे मैंट्रिक्स लेवल-14 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री वी0के0 सोनकिया को उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3–श्री वी0के0 सोनकिया द्वारा उक्त पदोन्नत पद पर तत्काल योगदान दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

सं0 113/2023/2757/30-3-2023-69जीई/2017–परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राजीव श्रीवास्तव, उप परिवहन आयुक्त को नियमित चयनोपरान्त अपर परिवहन आयुक्त, ग्रेड पे रु0-8,900/– पुनरीक्षित पे-मैंट्रिक्स लेवल-13क के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री राजीव श्रीवास्तव की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 114/2023/2758/30-3-2023-69जीई/2017–परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री अशोक कुमार, उप परिवहन आयुक्त को नियमित चयनोपरान्त अपर परिवहन आयुक्त, ग्रेड पे रु0-8,900/– पुनरीक्षित पे-मैंट्रिक्स लेवल-13क के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री अशोक कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 115/2023/2759/30-3-2023-69जीई/2017–परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री पुष्पसेन सत्यार्थी, उप परिवहन आयुक्त को नियमित चयनोपरान्त अपर परिवहन आयुक्त, ग्रेड पे रु0-8,900/– पुनरीक्षित पे-मैंट्रिक्स लेवल-13क के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री पुष्पसेन सत्यार्थी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

31 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 121/2023/3007/30-3-2023-67जीई/2017–परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राम रतन, संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उप परिवहन आयुक्त (वेतनमान रु0 37,400-67,000 व ग्रेड वेतन रु0-8,700, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री राम रतन की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 122/2023/3008/30-3-2023-67जीई/2017–परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री हरि शंकर सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उप परिवहन आयुक्त (वेतनमान रु0 37,400-67,000 व ग्रेड वेतन रु0-8,700, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री हरि शंकर सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 123/2023/3009/30-3-2023-67जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री अनिल कुमार, संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उप परिवहन आयुक्त (वेतनमान रु0 37,400-67,000 व ग्रेड वेतन रु0-8,700, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री अनिल कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 124/2023/3010/30-3-2023-67जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राधेश्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उप परिवहन आयुक्त (वेतनमान रु0 37,400-67,000 व ग्रेड वेतन रु0-8,700, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री राधेश्याम की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

08 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 128/2023/3375/30-3-2023-70जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री दीपक कुमार शाह (ज्येष्ठता क्रमांक-189), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त उनके कनिष्ठ श्री विश्वजीत प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-190) की प्रोन्नति तिथि 16 फरवरी, 2023 से संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु0 7,600/- (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री दीपक कुमार शाह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 129/2023/3376/30-3-2023-70जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री सौरभ कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600/- (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री सौरभ कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 130/2023/3377/30-3-2023-70जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री राजेन्द्र कुमार सरोज, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600/- (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री राजेन्द्र कुमार सरोज की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 131 / 2023 / 3378 / 30-3-2023-70जीई / 2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री अरविन्द कुमार त्रिवेदी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600/- (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री अरविन्द कुमार त्रिवेदी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 132 / 2023 / 3379 / 30-3-2023-70जीई / 2017 / टी0सी0—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री अश्विनी कुमार सिंह राजपूत, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7,600/- (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—श्री अश्विनी कुमार सिंह राजपूत की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
एल0 वैंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—6 हिन्दी गजट—भाग 1—2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 11 मई, 2024 ई० (वैशाख 21, 1946 शक संवत्)**

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### हमीरपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

21 मार्च, 2023 ई0

सं0 663/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय) 2022-23—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम भौली डांडा, परगना हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या-113मि0 रकवा 5.093 हे0 में से 0.0270 हे0 ऊसर, मालियत 32,400/— (मु0 बत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को ग्राम भौली डांडा में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, भौली डांडा के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति आख्या दिनांक 03 मार्च, 2023 एवं तहसीलदार हमीरपुर के पत्र-संख्या-217/रा0नि0(का0)-भू-आवंटन (2022-23) दिनांक 06 मार्च, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | हमीरपुर | हमीरपुर | भौली डांडा | 113 मि0 | 5.093 में से 0.0270 | ऊसर | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भौली डांडा के पक्ष में। |

सं0 664 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (पुलिस चौकी) 2022-23—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744 / एक-1बी-(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम गुन्देला, परगना मुस्करा, तहसील मौदहा, जिला हमीरपुर के गाटा सं0-430 / 5 रकवा 0.789 हे0 में से 0.200 हे0 बंजर, मालियत 1,90,000 / — (मु0 एक लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) को ग्राम गुन्देला में पुलिस चौकी पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी मौदहा की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 एवं कार्यालय उपजिलाधिकारी मौदहा के पत्र-संख्या-616 / रा0का0-पुनर्ग्रहण / 2022-23 दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों / नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग / संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | मौदहा | मुस्करा | गुन्देला | 430 / 5 | 0.789 में से 0.200 | बंजर | पुलिस चौकी गुन्देला पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में। |

निरस्तीकरण

26 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 839/डी0एल0आर0सी0-12ए-निरस्तीकरण (2022-23)–प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर, वन प्रभाग, हमीरपुर के पत्रांक-2033/33-1 दिनांक 20 फरवरी, 2023, अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 कानपुर के पत्र सं0-253/A-6 दिनाक 22 फरवरी, 2023, तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी राठ के पत्र-संख्या-158/एस0टी0 (2022-23) दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के परिप्रेक्ष्य में जनपद-हमीरपुर में विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग झाँसी के पक्ष में ग्राम कुछेछा गाटा-संख्या-151मि0 रकवा 4.068 हे0 श्रेणी बंजर की भूमि विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग झाँसी के पक्ष में आदेश संख्या-1663/डी0एल0आर0सी0-12ए पुनर्ग्रहण 2018-19, दिनांक 17 जून, 2020 के माध्यम से पुर्नग्रहण किया गया था परन्तु उक्त आवंटित भूमि वन सीमा के अन्दर होने के कारण प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/117342/2020 में अनुमति प्राप्त करने हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना सम्भव नही है तथा आरक्षित वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन सीमा के बाहर समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराया जाना है। अतः पुनर्ग्रण आदेश संख्या-1663/डी0एस0-12-पुनर्ग्रहण 2018-19 दिनांक 17 जून, 2020 निरस्त किया जाना है।

अतः विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1 (क)-30-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में उल्लिखित उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2020 धारा-59 की उपधारा 4 (ग) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी, हमीरपुर अनुसूची के स्तम्भ 6 में अंकित भूमि गाटा संख्या-151 मि0 रकवा 4.068 हे0 श्रेणी बंजर का पूर्व निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-1663/डी0एस0-12-पुनर्ग्रहण 2018-19 दिनांक 17 जून, 2020 निरस्त करता हूँ तथा उक्त भूमि श्रेणी 5-3 डं0 बंजर खाते में दर्ज करता हूँ–

अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | कुछेछा | 151मि0 | 4.068 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग झाँसी के पक्ष में। |

01 मई, 2023 ई0

सं0 856/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण 2022-23–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम कुछेछा, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 78मि0 रकवा 71.841 हे0 में से 4.068 हे0 श्रेणी बंजर, मालियत 32,54,400/– (मु0 बत्तीस लाख चौवन हजार चार सौ रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग झॉसी के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | कुछेछा | 78मि0 | 71.841 में से 4.068 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग झाँसी के पक्ष में। |

02 जून, 2023 ई0

सं0 964 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1 / 3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68 / (3) / राजस्व 1 / 3-2(6) / 1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744 / एक-1बी-(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम बिहर, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 19 रकवा 0.052 हे0 में से 0.003 हे0, गाटा संख्या 10 रकवा 0.036 हे0 में से 0.007 हे0, गाटा संख्या 27 रकवा 0.300 हे0 में से 0.018 हे0, गाटा-संख्या 33 रकवा 0.093 हे0 में से 0.006 हे0, कुल 4 किता रकवा 0.481 हे0 में से 0.034 श्रेणी बंजर, मालियत 6,11,600 / – (मु0 छः लाख ग्यारह हजार छः सौ रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों / नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग / संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | बिहर | 19 | 0.052 में से 0.003 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 10 | 0.036 में से 0.007 | ,, | |
| | | | | | 27 | 0.300 में से 0.018 | ,, | |
| | | | | | 33 | 0.093 में से 0.006 | ,, | |
| | | | | | **04 किता** | **0.481 में से 0.034** | | |

सं0 965/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम इकठौर, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा-संख्या-74 रकवा 0.032 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या 71 रकवा 0.040 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा -संख्या 70 रकवा 0.028 हे0 में से 0.008 हे0, गाटा-संख्या-83 रकवा 0.178 हे0 में से 0.024 हे0, गाटा-संख्या-297 रकवा 0.032 हे0 में से 0.003 हे0, गाटा-संख्या 292 रकवा 0.028 हे0 में से 0.003 हे0, गाटा-संख्या-291 रकवा 0.060 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या 228 रकवा 0.088 हे0 में से 0.008 हे0, गाटा-संख्या-227 रकवा 0.068 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा - संख्या-233 रकवा 0.024 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या 234 रकवा 0.064 हे0 में से 0.008 हे0, गाटा-संख्या-180 रकवा 0.052 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या-178 रकवा 0.546 हे0 में से 0.012 हे0, गाटा-संख्या-176 रकवा 0.024 हे0 में से 0.001 हे0, गाटा-संख्या-174 रकवा 0.032 हे0 में से 0.006 हे0, कुल 15 किता रकवा 1.296 हे0 में से 0.097 श्रेणी बंजर, मालियत 76,000/– (मु0 छिहत्तर हजार रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | इकठौर | 74 | 0.032 में से 0.004 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 71 | 0.040 में से 0.004 | '' | |
| | | | | | 70 | 0.028 में से 0.008 | '' | |
| | | | | | 83 | 0.178 में से 0.024 | '' | |
| | | | | | 297 | 0.032 में से 0.003 | '' | |
| | | | | | 292 | 0.028 में से 0.003 | '' | |
| | | | | | 291 | 0.060 में से 0.004 | '' | |
| | | | | | 228 | 0.088 में से 0.008 | '' | |
| | | | | | 227 | 0.068 में से 0.004 | '' | |
| | | | | | 233 | 0.024 में से 0.004 | '' | |
| | | | | | 234 | 0.064 में से 0.008 | '' | |
| | | | | | 180 | 0.052 में से 0.004 | '' | |
| | | | | | 178 | 0.546 में से 0.012 | '' | |
| | | | | | 176 | 0.024 में से 0.001 | '' | |
| | | | | | 174 | 0.032 में से 0.006 | '' | |
| | | | | | **योग ..** | **1.296 में से 0.097** | | |

सं0 966/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम कुछेछा, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा-संख्या 353 रकवा 0.433 हे0 में से 0.179 हे0, गाटा-संख्या 78 मि0 रकवा 71.841 हे0 में से 0.064 हे0, गाटा-संख्या 82 रकवा 0.073 हे0 में से 0.007 हे0 कुल 3 किता रकवा 72.347 हे0 में से 0.250 श्रेणी बंजर, मालियत 1,88,000/– (मु0 एक लाख अठ्ठासी हजार रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी /प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | कुछेछा | 353 | 0.433 में से 0.179 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 78मि0 | 71.841 में से 0.064 | ,, | |
| | | | | | 82 | 0.073 में से 0.007 | ,, | |
| | | | | | **योग . .** | **72.347 में से 0.250** | | |

सं0 967/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम मलौहामॉफ, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा-संख्या-56 रकवा 0.081 हे0 में से 0.002 हे0, गाटा-संख्या 01 रकवा 0.036 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा - संख्या-50 रकवा 0.049 हे0 में से 0.004 हे0 कुल 3 किता रकवा 0.166 हे0 में से 0.010 श्रेणी बंजर, मालियत 8,000/–

(मु0 आठ हजार रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | मलौहाम ऑफ | 56 | 0.081 में से 0.002 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 01 | 0.036 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 50 | 0.049 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | **योग ...** | **0.166 में से 0.010** | | |

सं0 968/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम टोलारावत, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या-1 रकवा 0.105 हे0 में से 0.016 हे0, गाटा संख्या-195 रकवा 1.276 हे0 में से 1.276 हे0, कुल 2 किता रकवा 1.381 हे0 में से 1.292 श्रेणी बंजर, मालियत 10,33,600/– (मु0 दस लाख तैंतीस हजार छः सौ रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | टोला रावत | 1<br>195 | 0.105 में से 0.016<br>1.276 में से 1.276 | बंजर<br>,, | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | **योग ...** | **1.381 में से 1.292** | | |

सं0 969 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1 / 3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68 / (3) / राजस्व 1 / 3-2(6) / 1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744 / एक-1बी-(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम कुर्रा, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा-संख्या-965 रकवा 0.640 हे0 में से 0.054 हे0, गाटा-संख्या-962 रकवा 0.117 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा -संख्या-953 रकवा 0.028 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या-846 रकवा 0.085 हे0 में से 0.002 हे0, गाटा-संख्या-854 रकवा 0.012 हे0 में से 0.002 हे0, गाटा-संख्या-850 रकवा 0.097 हे0 में से 0.003 हे0, गाटा-संख्या-864 रकवा 0.097 हे0 में से 0.048 हे0, गाटा-संख्या-855 रकवा 0.036 हे0 में से 0.013 हे0, गाटा-संख्या-887 रकवा 0.162 हे0 में से 0.005 हे0, गाटा - संख्या-888 रकवा 0.057 हे0 में से 0.003 हे0, गाटा-संख्या-880 रकवा 0.073 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या-866 रकवा 0.652 हे0 में से 0.206 हे0, गाटा-संख्या-860 रकवा 0.223 हे0 में से 0.0096 हे0, गाटा-संख्या-863 रकवा 1.749 हे0 में से 0.002 हे0, गाटा-संख्या-861 रकवा 0.036 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या-859 रकवा 0.125 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा - संख्या-948 रकवा 0.077 हे0 में से 0.077 हे0, कुल 17 किता रकवा 4.266 हे0 में से 0.531 श्रेणी बंजर, मालियत 4,24,800 / – (मु0 चार लाख, चौबीस हजार, आठ सौ रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों / नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग / संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | कुर्रा | 965 | 0.640 में से 0.054 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 962 | 0.117 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 953 | 0.028 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 846 | 0.085 में से 0.002 | ,, | |
| | | | | | 854 | 0.012 में से 0.002 | ,, | |
| | | | | | 850 | 0.097 में से 0.003 | ,, | |
| | | | | | 864 | 0.097 में से 0.048 | ,, | |
| | | | | | 855 | 0.036 में से 0.013 | ,, | |
| | | | | | 887 | 0.162 में से 0.005 | ,, | |
| | | | | | 888 | 0.057 में से 0.003 | ,, | |
| | | | | | 880 | 0.073 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 866 | 0.652 में से 0.206 | ,, | |
| | | | | | 860 | 0.223 में से 0.096 | ,, | |
| | | | | | 863 | 1.749 में से 0.002 | ,, | |
| | | | | | 861 | 0.036 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 859 | 0.125 में से 0.004 | | |
| | | | | | 948 | 0.077 में से 0.077 | | |
| | | | | | **योग ...** | **4.266 में से 0.531** | | |

सं0 970 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1 / 3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68 / (3) / राजस्व 1 / 3-2(6) / 1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744 / एक-1बी-(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम गोहानी पनवाड़ी, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा-संख्या-734 रकवा 0.012 हे0 में से 0.010 हे0, गाटा-संख्या-719 रकवा 0.093 हे0 में से 0.006 हे0, गाटा-संख्या-728 रकवा 0.028 हे0 में से 0.028 हे0, गाटा-संख्या-708 रकवा 0.093 हे0 में से 0.006 हे0, गाटा-संख्या-701 रकवा 1.044 हे0 में से 0.095 हे0, गाटा-संख्या-698 रकवा 1.235 हे0 में से 0.016 हे0, गाटा-संख्या-682 रकवा 0.052 हे0

में से 0.019 हे0, गाटा-संख्या-547 रकवा 1.482 हे0 में से 0.080 हे0, गाटा-संख्या-531 रकवा 1.372 हे0 में से 0.012 हे0, गाटा-संख्या-676 रकवा 0.028 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या-516 रकवा 0.178 हे0 में से 0.004 हे0, गाटा-संख्या-543 रकवा 0.190 हे0 में से 0.002 हे0, कुल 12 किता रकवा 5.807 हे0 में से 0.282 श्रेणी बंजर, मालियत 2,25,600/– (मु0 दो लाख पच्चीस हजार छः सौ रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी /प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | गोहानी पनवाड़ी | 734 | 0.012 में से 0.010 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 719 | 0.093 में से 0.006 | ,, | |
| | | | | | 728 | 0.028 में से 0.028 | ,, | |
| | | | | | 708 | 0.093 में से 0.006 | ,, | |
| | | | | | 701 | 1.044 में से 0.095 | ,, | |
| | | | | | 698 | 1.235 में से 0.016 | ,, | |
| | | | | | 682 | 0.052 में से 0.019 | ,, | |
| | | | | | 547 | 1.482 में से 0.080 | ,, | |
| | | | | | 531 | 1.372 में से 0.012 | ,, | |
| | | | | | 676 | 0.028 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 516 | 0.178 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 543 | 0.190 में से 0.002 | ,, | |
| | | | | | **योग ...** | **5.807 में से 0.282** | | |

सं0 971/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं

शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम चुल्ला, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा-संख्या-78 रकवा 0.474 हे0 में से 0.020 हे0, गाटा-संख्या-89 रकवा 0.263 हे0 में से 0.048 हे0, कुल 2 किता रकवा 0.737 हे0 में से 0.068 हे0 श्रेणी बंजर, मालियत 54,400/– (मु0 चौवन हजार चार सौ रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी /प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | चुल्ला | 78 | 0.474 में से 0.020 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 89 | 0.263 में से 0.048 | ,, | |
| | | | | | **योग ...** | **0.737 में से 0.068** | | |

सं0 972/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम बरेल, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा-संख्या 388 रकवा 0.166 हेक्टेयर में से 0.011 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 389 रकवा 0.113 हेक्टेयर में से 0.004 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 398 रकवा 0.109 हेक्टेयर में से 0.004 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 404 रकवा 0.454 हेक्टेयर में से 0.048 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 507 रकवा 0.858 हेक्टेयर में से 0.024 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 473 रकवा 0.202 हेक्टेयर में से 0.043 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 472 रकवा 0.120 हेक्टेयर में से 0.018 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 469 रकवा 0.052 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 496 रकवा 0.120 हेक्टेयर में से 0.004 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 466 रकवा 0.421 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 425 रकवा 0.048 हेक्टेयर में से 0.006 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 217/563 रकवा 0.028 हेक्टेयर में से 0.027 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 58 रकवा 0.026 हेक्टेयर में से 0.003 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 58/571 रकवा 0.048 हेक्टेयर में से 0.004 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 168 रकवा 0.316 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 171 रकवा 0.142 हेक्टेयर में से 0.004 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 205 रकवा 0.105 हेक्टेयर में से 0.002 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 144 रकवा 0.174 हेक्टेयर में से 0.106 हेक्टेयर, गाटा-संख्या 114 रकवा 0.134 हेक्टेयर में

से 0.026 हेक्टेयर, कुल 19 किता रकवा 3.630 हेक्टेयर में से 0.358 हेक्टेयर श्रेणी बंजर, मालियत 2,86,400/– (मु0 दो लाख छियासी हजार चार सौ रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी /प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | बरेल | 388 | 0.166 में से 0.011 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 389 | 0.113 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 398 | 0.109 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 404 | 0.454 में से 0.048 | ,, | |
| | | | | | 507 | 0.858 में से 0.024 | ,, | |
| | | | | | 473 | 0.202 में से 0.043 | ,, | |
| | | | | | 472 | 0.120 में से 0.018 | ,, | |
| | | | | | 469 | 0.052 में से 0.008 | ,, | |
| | | | | | 496 | 0.120 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 466 | 0.421 में से 0.008 | ,, | |
| | | | | | 425 | 0.048 में से 0.006 | ,, | |
| | | | | | 217/563 | 0.028 में से 0.027 | ,, | |
| | | | | | 58 | 0.026 में से 0.003 | ,, | |
| | | | | | 58/571 | 0.048 में से 0.004 | ,, | |
| | | | | | 168 | 0.316 में से 0.008 | ,, | |
| | | | | | 171 | 0.142 में से 0.004 | | |
| | | | | | 205 | 0.105 में से 0.002 | | |
| | | | | | 144 | 0.174 में से 0.106 | | |
| | | | | | 114 | 0.134 में से 0.026 | | |
| | | | | | **योग ...** | **3.630 में से 0.358** | | |

सं0 973/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (2023-24)–शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या-68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम इटायल, परगना राठ, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा-संख्या-187 रकवा 0.077 हे0 में से 0.040 हे0, गाटा-संख्या-188 रकवा 0.131 हे0 में से 0.052 हे0, गाटा -संख्या-189 रकवा 0.101 हे0 में से 0.016 हे0, गाटा-संख्या 190 रकवा 0.045 हे0 में से 0.010 हे0, गाटा-संख्या 191 रकवा 0.069 हे0 में से 0.006 हे0, गाटा-संख्या 195 रकवा 0.040 हे0 में से 0.006 हे0, गाटा-संख्या 200 रकवा 0.097 हे0 में से 0.009 हे0, गाटा-संख्या 205 रकवा 0.206 हे0 में से 0.009 हे0, गाटा-संख्या 206 रकवा 0.109 हे0 में से 0.006 हे0, गाटा - संख्या 211 रकवा 0.125 हे0 में से 0.008 हे0, कुल 10 किता रकवा 1.000 हे0 में से 0.162 हे0 श्रेणी बंजर, मालियत 2,43,000/– (मु0 दो, लाख तैंतालिस, हजार रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 24 मई, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | मौजा | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी /प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | हमीरपुर | राठ | राठ | इटायल | 187 | 0.077 में से 0.040 | बंजर | विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में। |
| | | | | | 188 | 0.131 में से 0.052 | '' | |
| | | | | | 189 | 0.101 में से 0.016 | '' | |
| | | | | | 190 | 0.045 में से 0.010 | '' | |
| | | | | | 191 | 0.069 में से 0.006 | '' | |
| | | | | | 195 | 0.040 में से 0.006 | '' | |
| | | | | | 200 | 0.097 में से 0.009 | '' | |
| | | | | | 205 | 0.206 में से 0.009 | '' | |
| | | | | | 206 | 0.109 में से 0.006 | '' | |
| | | | | | 211 | 0.125 में से 0.008 | '' | |
| | | | | | **योग . .** | **1.000 में से 0.162** | | |

डॉ0 चन्द्र भूषण,
जिलाधिकारी, हमीरपुर।

# जालौन के जिलाधिकारी की आज्ञायें

22 फरवरी, 2023 ई0

सं0 241/आठ-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गाँव | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | कालपी | कालपी | मैनूपुर मु0 | 182/1 | 0.154 | 5-3-ड़ /बंजर | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0। |

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

चाँदनी सिंह,
जिलाधिकारी, जालौन।

09 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 422/आठ-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 02 सितम्बर, 2023 एवं भूमि प्रबन्धक समिति सतोह के प्रस्ताव दिनांक 23 जुलाई, 2023 द्वारा ग्राम सतोह में पुलिस चौकी निर्माण कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक जालौन की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6-4 खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-454 क्षेत्रफल 0.405 हे0 में से 0.093 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5-3-ड़ बंजर की भूमि गाटा संख्या 1003/1 क्षेत्रफल 0.093 हे0 से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की

शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6-4 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति सतोह द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | मौजा | श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण | | | श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण | | | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | हेक्टेयर | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | कोंच | सतोह | 454 | 0.405 में से 0.093 | 6-4/खलिहान | 454 | 0.093 | 5-3-ड़/बंजर | पुलिस चौकी सतोह (पुलिस विभाग उ0प्र0) |
| 2 | ,, | ,, | ,, | 1003/1 | 0.093 | 5-3-ड़/बंजर | 1003/1 | 0.093 | 6-4/खलिहान | |

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 423/आठ-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूमि प्रबन्धक समिति चौरसी तहसील उरई के प्रस्ताव दिनांक 14 अगस्त, 2023 पर उपजिलाधिकारी उरई की संस्तुति दिनांक 16 अगस्त, 2023 के आधार पर, मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गाँव | गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | उरई | उरई | चौरसी | चौरसी | 493/2 | 0.957 में से 0.190 | 5-3-ड़ / बंजर | क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय जालौन स्थान उरई (आयुष विभाग, उ0प्र0)। |

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 424 / आठ-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 29 सितम्बर, 2023 एवं भूमि प्रबन्धक समिति चौरसी के प्रस्ताव दिनांक 25 सितम्बर, 2023 द्वारा ग्राम चौरसी में राजकीय कर्मचारियों की आवास कालौनी के भवन निर्माण हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई के पत्रांक 1036 / 12-नाजिर सदर दिनांक 21 सितम्बर, 2023 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6(4) खलिहान की भूमि की गाटा-संख्या 496 / 2 रकवा 0.672 हे0 में से 0.600 हे0 भूमि को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 6(4) की भूमि गाटा संख्या 448 / 6 क्षेत्रफल 1.853 हे0 में से 0.600 हे0 बेहड़ से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति चौरसी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | मौजा | श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण | | | श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण | | | विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | हेक्टेयर | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | उरई | चौरसी | 496/2 | 0.672 में से 0.600 | 6-4 / 2 खलिहान | 496/2 | 0.600 | 6-4 / बेहड़ | राजकीय कर्मचारियों की आवास कालोनी के भवन निर्माण हेतु (राजस्व विभाग)। |
| 2 | | | | 448/6 | 1.853 में से 0.600 | 6-4 / बेहड़ | 448/6 | 0.600 | 6-4 / खलिहान | |

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी उरई उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

11 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 426 / आठ-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूमि प्रबन्धक समिति चौरसी तहसील उरई के प्रस्ताव दिनांक 25 सितम्बर, 2023 पर उपजिलाधिकारी उरई की संस्तुति दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के आधार पर, मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गाँव | गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | उरई | उरई | चौरसी | चौरसी | 493/2 | 0.957 में से 0.200 | 5-3-ड़ / बंजर | राजकीय कर्मचारियों की आवास कालोनी के भवन निर्माण हेतु (राजस्व विभाग)। |

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 427/आठ-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूमि प्रबन्धक समिति गधेला तहसील जालौन के प्रस्ताव दिनांक 12 मई, 2023 पर उपजिलाधिकारी जालौन की संस्तुति दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के आधार पर, मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गाँव | गाँवसभा/स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | जालौन | जालौन | गधेला | गधेला | 98-ख | 5.415 में से 1.300 | 5-3-ड़/बंजर | युवा कल्याण विभाग को खेल का मैदान विकसित करने हेतु। |

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

10 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 454/आठ-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 08 नवम्बर, 2023 एवं भूमि प्रबन्धक समिति खकसीस के प्रस्ताव दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 द्वारा ग्राम खकसीस में राजकीय आयुर्वेदिक

चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी जालौन स्थाई उरई की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6(4) खलिहान की भूमि की गाटा रकवा संख्या-324 क्षेत्रफल 0.651 हे0 में से 0.050 हे0 को ग्राम मकुन्दपुरा में उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या 110/233, रकवा 0.117 हे0 में से 0.050 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति खकसीस द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | मौजा | श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण | | | श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण | | | विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | हेक्टेयर | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | कोंच | खकसीस | 324 | 0.651 में से 0.050 | 6-4/खलिहान | 324 | 0.050 | 5-1/नवीन परती | राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खकसीस (आयुष विभाग, उ0प्र0)। |
| 2 | | | | 110/233 | 0.117 में से 0.050 | 5-1/नवीन परती | 110/233 | 0.050 | 6-4/खलिहान | |

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करता हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

23 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 462/आठ-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 16 नवम्बर, 2023 एवं भूमि प्रबन्धक समिति जगनपुरा के प्रस्ताव दिनांक 01 नवम्बर, 2023 द्वारा ग्राम जगनपुरा में पुलिस चौकी निर्माण कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक जालौन की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6-4 खलिहान की भूमि की गाटा-संख्या 144 क्षेत्रफल 0.308 हे0 में से 0.047 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5-1 की भूमि गाटा-संख्या 5-ख क्षेत्रफल 0.105 हे0 में से 0.054 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6-4 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति जगनपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | मौजा | श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण | | | श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण | | | विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | हेक्टेयर | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | कोंच | जगनपुरा | 144 | 0.308 में से 0.047 | 6-4/खलिहान | 144 | 0.047 | 5-1/नवीन परती | पुलिस चौकी जगनपुरा (पुलिस विभाग, उ0प्र0)। |
| 2 | | | | 5-ख | 0.105 में से 0.054 | 5-1/नवीन परती | 5-ख | 0.054 | 6-4/खलिहान | |

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करता हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

30 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 463/आठ-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूमि प्रबन्धक समिति महोई, तहसील माधौगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 08 नवम्बर, 2023 पर उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की संस्तुति दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के आधार पर, मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, स्तम्भ 10 में दिये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गाँव | गाँवसभा/स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | माधौगढ़ | माधौगढ़ | महोई | महोई | 535/4 | 0.470 में से 0.0465 | 5-3-ड़/बंजर | पुलिस चौकी महोई (पुलिस विभाग, उ0प्र0)। |

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

06 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 466/आठ-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूमि प्रबन्धक समिति गोपालपुरा तहसील माधौगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 पर उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की संस्तुति दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के आधार पर, मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, स्तम्भ-10 में दिये गये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गाँव | गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | माधौगढ़ | माधौगढ़ | गोपालपुरा | गेपालपुरा | 172 | 2.832 में से 0.0010 | 6-4 / बेहड़ | Water Level सेंसर Data Logger and Automatic rain Gaguge लगाने हेतु (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0)। |

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 467 / आठ-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूमि प्रबन्धक समिति मलकपुरा, तहसील जालौन के प्रस्ताव दिनांक 08 नवम्बर, 2023 पर उपजिलाधिकारी जालौन की संस्तुति दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के आधार पर, मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, स्तम्भ-10 में दिये प्रयोजन हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गाँव | गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी / प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | जालौन | जालौन | लहर जालौन | मलकपुरा | 40 | 0.061 | 5-3-ड़ / बंजर | पुलिस चौकी छिरिया सलेमपुर (पुलिस विभाग, उ0प्र0)। |

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 469/आठ-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 एवं भूमि प्रबन्धक समिति दौन के प्रस्ताव दिनांक 08 अक्टूबर, 2023 द्वारा ग्राम दौन में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जालौन की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6-4 खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 219 क्षेत्रफल 0.967 हे0 में से 0.028 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5-3-ड़ की भूमि गाटा संख्या 285-ख क्षेत्रफल 0.024 हे0 बंजर एवं श्रेणी 5-1 की भूमि गाटा संख्या 559-घ क्षेत्रफल 0.004 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6-4 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति दौन द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करता हूँ–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | मौजा | श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण | | | श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण | | | विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | गाटा सं0 | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | हेक्टेयर | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | जालौन | जालौन | दौन | 219 | 0.967 में से 0.028 | 6-4/खलिहान | 219 | 0.028 | 5-3-ड़/बंजर | सामुदायिक भवन निर्माण हेतु (उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ)। |
| | | | | | | | | | 5-1/नवीन परती | |
| 2 | ,, | ,, | ,, | 285-ख | 0.024 | 5-3-ड़/बंजर | 285-ख | 0.024 | 6-4/खलिहान | |
| | | | | 559-घ | 0.004 | 5-1/नवीन परती | 559-घ | 0.004 | 6-4/खलिहान | |

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

राजेश कुमार पाण्डेय,
जिलाधिकारी, जालौन।

पी0एस0यू0पी0–6 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 11 मई, 2024 ई० (वैशाख 21, 1946 शक संवत्)**

**भाग 4**

### निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

### कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

06 मई, 2024 ई0

**पत्रांक संख्या : मा0शि0प0/परिषद्–9/76**–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्याः संख्या–543/15–7–2024 दिनांक 03 मई, 2024 के द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय–बारह के विनयम–5(1) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

| **स्तम्भ–1**<br>**वर्तमान अध्याय–बारह विनियम–5(1)** | **स्तम्भ–2**<br>**संशोधित अध्याय–बारह विनियम–5(1)** |
|---|---|
| मान्यता प्राप्त संस्था, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित हैं, प्रतिबन्ध यह है कि ''पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना'' के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों को उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठ्य-सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा। | विद्यालय, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित है, विद्यालयों में शिक्षण एवं पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलापों की अवधि प्रतिदिन न्यूनतम 06 घण्टे (प्रार्थना सभा एवं विश्रान्तिकाल को सम्मिलित करते हुए) होगी। अपरिहार्य स्थिति में, विद्यालय बन्द किये जाने की दशा में, अवशेष घण्टों की पूर्ति विद्यालय संचालन अवधि की सीमा को बढ़ाकर किया जायेगा। विद्यालयों का संचालन निम्नवत् किया जायेगा :– |

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान अध्याय–बारह विनियम–5(1) | स्तम्भ–2<br>संशोधित अध्याय–बारह विनियम–5(1) |
|---|---|
| | **01 अप्रैल से 30 सितम्बर–**<br>प्रातः 7:30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 7:45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 10:25 बजे से 25 मिनट, 10:50 बजे से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराहन् 1:30 बजे तक।<br>**01 अक्टूबर से 31 मार्च–**<br>प्रातः 9:30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 9:45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 12:25 बजे से 25 मिनट का, 12:50 बजे से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराहन् 3:30 बजे तक।<br>प्रतिबन्ध यह है कि ''पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजना'' के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों की उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठ्य-सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा। |

दिब्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–6 हिन्दी गजट–भाग 4–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी०एस०यू०पी०–2 मा०शि०प०–10.05.2024–2,000 प्रतियां (डी०टी०पी० / आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 11 मई, 2024 ई० (वैशाख 21, 1946 शक संवत्)**

**भाग 7-ख**

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

## भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 03 जनवरी, 2024 ई0 / 13 पौष, 1945 (शक)

**आदेश**

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/अमरोहा/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 40-नौगावां सादात विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

**यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

**यतः** 40-नौगावां सादात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दुष्यन्त खरे जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 40-नौगावां सादात से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दुष्यन्त खरे को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

**यतः,** निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दुष्यन्त खरे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा द्वारा अपने पत्र संख्या 445/29-वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 मई, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 445/29-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दुष्यन्त खरे ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

**यतः,** आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दुष्यन्त खरे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

**अतः,** अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 40-नौगावां सादात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दुष्यन्त खरे निवासी मकान नं0 28, न्यू सर्वोदय कालोनी, गली नं0 1, आई टी आई कोलेज, मेरठ जिला-मेरठ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

---

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

*New Delhi, dated* *03rd January, 2024* / *13th Pausha, 1945 (Saka)*

### ORDER

**No. 76/UP-LA/Amroha/2022/CEMS-III**–WHEREAS, the General Election to 40-Naugawan Sadat Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 40-Naugawan Sadat Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Amroha, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Sh. Dushyant Khare, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 40-Naugawan Sadat Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Amroha, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Dushyant Khare for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14 December 2022, Sh. Dushyant Khare was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 20 May, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Amroha, *vide* its letter no. 445 / 29-वि0स0सा0नि0-2022 dated 20 October, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Amroha in his Supplementary Report, *vide* its letter 445 / 29-वि0स0सा0नि0-2022 dated 20 October, 2023 has reported that Sh. Dushyant Khare has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Dushyant Khare has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

*"If the Election Commission is satisfied that a person–*

*(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

*(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";*

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Dushyant Khare resident of H. No. 28, New Sarvodaya Colony, Gali No. 1, ITI College, Meerut, District-Meerut a contesting candidate from 40-Naugawan Sadat Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
*Secretary,*
*Election Commission of India.*

---

By order,
NAVDEEP RINWA,
*Principal Secretary.*

## भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 03 जनवरी, 2024 ई0 / 13 पौष, 1945 (शक)

### आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/अमरोहा/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 42-हसनपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

**यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

**यतः** 42-हसनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एहतेशाम रजा हाशमी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 42-हसनपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए एहतेशाम रजा हाशमी को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

**यतः,** निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए एहतेशाम रजा हाशमी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

**यतः,** उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा द्वारा अपने पत्र संख्या 1506/29-वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 03 फरवरी, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 445/29-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एहतेशाम रजा हाशमी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

**यतः,** आयोग का यह समाधान हो गया है कि एहतेशाम रजा हाशमी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 42-हसनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी एहतेशाम रजा हाशमी निवासी ग्राम-ढबारसी, डाकखाना-ढबारसी, तहसील-हसनपुर, जनपद-अमरोहा को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

*New Delhi, dated* *03rd January, 2024* / *13th Pausha, 1945 (Saka)*

### ORDER

**No. 76/UP-LA/Amroha/2022/CEMS-III**–WHEREAS, the General Election to 42-Hasanpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 42-Hasanpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Amroha, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Ahtesham Rza Hashmi, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 42-Hasanpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Amroha, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Ahtesham Rza Hashmi for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14 December 2022, Ahtesham Rza Hashmi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 13 January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Amroha, *vide* its letter no. 1506 / 29-वि0स0सा0नि0-2022 dated 03 February, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Amroha in his Supplementary Report, *vide* its letter 445 / 29-वि0स0सा0नि0-2022 dated 20 October, 2023 has reported that Ahtesham Rza Hashmi has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Ahtesham Rza Hashmi has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

*"If the Election Commission is satisfied that a person–*

*(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

*(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";*

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Ahtesham Rza Hashmi resident of Village-Dhabarasi. PO-Dhabarasi, Tehsil-Hasanpur, Dist-Amroha a contesting candidate from 42-Hasanpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
*Secretary,*
*Election Commission of India.*

---

By order,
NAVDEEP RINWA,
*Principal Secretary.*

# भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 03 जनवरी, 2024 ई0
13 पौष, 1945 (शक)

## आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/अमरोहा/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 42-हसनपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

**यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

**यतः** 42-हसनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सूरज जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 42-हसनपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सूरज को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

**यतः,** निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सूरज को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

**यतः,** उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा द्वारा अपने पत्र संख्या 1506/29-वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 03 फरवरी, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 445/29-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सूरज ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

**यतः,** आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सूरज निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 42-हसनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सूरज निवासी ग्राम-मिलक मजरा अल्लीपुर खादर, डा0-हसनपुर, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

*New Delhi, dated* *03rd January, 2024* / *13th Pausha, 1945 (Saka)*

### ORDER

**No. 76/UP-LA/Amroha/2022/CEMS-III**–WHEREAS, the General Election to 42-Hasanpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 42-Hasanpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Amroha, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Sh. Suraj, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 42-Hasanpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Amroha, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Suraj for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14 December 2022, Sh. Suraj was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 13 January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Amroha, *vide* its letter no. 1506/29-वि0स0सा0नि0-2022 dated 03 February, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Amroha in his Supplementary Report, *vide* its letter 445/29-वि0स0सा0नि0-2022 dated 20 October, 2023 has reported that Sh. Suraj has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Suraj has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

*"If the Election Commission is satisfied that a person–*

*(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

*(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";*

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Suraj resident of Village-Milak Majra Alipur Khadar,

PO-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, Dist-Amroha a contesting candidate from 42-Hasanpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
*Secretary,*
*Election Commission of India.*

---

By order,
NAVDEEP RINWA,
*Principal Secretary.*

## भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 03 जनवरी, 2024 ई0 / 13 पौष, 1945 (शक)

### आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/गोरखपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 325-खजनी (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-88/61-2022 दिनांक 04 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

**यतः** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

**यतः** 325-खजनी (अ0जा0)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती रजनी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 325-खजनी (अ0जा0)से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती रजनी को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

**यतः,** निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती रजनी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 860/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

**यतः,** जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 860/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती रजनी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

**यतः,** आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती रजनी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

**यतः,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

**अतः**, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 325-खजनी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती रजनी निवासी ग्राम-रूद्रपुर, पोस्ट-खजनी, तहसील-खजनी, गोरखपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

---

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

*New Delhi, dated* *03rd January, 2024* / *13th Pausha, 1945 (Saka)*

### ORDER

**No. 76/UP-LA/Gorakhpur/2022/CEMS-III–**WHEREAS, the General Election to 325-Khajani (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 88/61-2022 dated 04 February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 325-Khajani (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Gorakhpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Smt. Rajani, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 325-Khajani (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Gorakhpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Rajani for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13 December 2022, Smt. Rajani was directed to submit her representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 16 January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Gorakhpur, *vide* its letter no. 860/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 dated 28 October, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Gorakhpur in his Supplementary Report, *vide* its letter 860/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 dated 28 October, 2023 has reported that Smt. Rajani has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Rajani has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

*"If the Election Commission is satisfied that a person–*

*(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

*(b)-has no good reason or justification for the failure,*

*the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";*

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Rajani resident of Vill-Rudrapur, Post-Khajani, Tehsil-Khajani, Gorakhpur a contesting candidate from 325-Khajani (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
*Secretary,*
*Election Commission of India.*

---

By order,
NAVDEEP RINWA,
*Principal Secretary.*

पी0एस0यू0पी0–6 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी०एस०यू०पी०–26 निर्वाचन–11.05.2024–100 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 11 मई, 2024 ई० (वैशाख 21, 1946 शक संवत्)**

**भाग 8**

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

## कार्यालय नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

### नियमावली

19 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 701/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2024–उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधि0 सं0 02 सन् 1959) की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) धारा 114 की उपधारा 3 (9-क) तथा धारा 541 के खण्ड (3) के अधीन पार्किंग शुल्क उपविधि बनायी गयी है जो वर्ष 2019 से प्रभावी है। प्रचलित पार्किंग उपविधि में 2019 मे पार्किंग दरों में संशोधन हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 एंव मा0 सदन ने अपने विशेष प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार करते हुऐ पारित किया गया है। तदनुसार उपविधि में संशोधन करते हुए कार्यालय पत्र संख्या 571/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2024 दिनांक 19 फरवरी, 2024 को तीन दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक राजपथ में 15 दिवस में आपत्ति एंव सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराते हुऐ नगर निगम की वेबसाईट https://etender.up.nic.in/ पर अपलोड करा दिया गया। किन्तु निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए। संशोधन उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

**नियम 04 के उपनिनियम (2) में संशोधन प्रस्ताव**

| क्र0 सं0 | प्राईवेट पार्किंग हेतु निर्धारित प्रतिवर्ष पार्किंग शुल्क की प्रचलित दरें | प्राईवेट पार्किंग हेतु प्रतिवर्ष प्रस्तावित पार्किंग शुल्क की दरें। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– रु0 20,000/– | 50 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– रु0 40,000/– |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2 | 51 से 100 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– रु0 35,000/– | 51 से 100 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– रु0 70,000/– |
| 3 | 100 से 200 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– रु0 50,000/– | 100 से 200 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– रु0 1,00,000/– |
| 4 | 200 से ऊपर वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– रु0 1,00,000/– | 200 से ऊपर वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल– रु0 2,00,000/– |

**नियम 05 में संशोधन में प्रस्ताव**

| क्र0 सं0 | सार्वजनिक पार्किंग हेतु निर्धारित पार्किंग शुल्क की प्रचलित दरें | | पार्किंग हेतु प्रस्तावित पार्किंग शुल्क की दरें। | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वाहन का प्रकार | पार्किंग शुल्क की प्रतिदिन दरें | वाहन का प्रकार | पार्किंग के पहले 01 घण्टे के लिये | पार्किंग शुल्क की दरें 04 घण्टे के लिये | 04 घण्टे के उपरान्त प्रत्येक अतिरिक्त 02 घण्टे के लिये दरें |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | रुपये– | | रुपये– | रुपये– | रुपये– |
| 1 | ट्रक, बस, मिनी बस, मेटाडोर | 100.00 | ट्रक, बस, मिनी बस, मेटाडोर | 100.00 | 200.00 | 40.00 |
| 2 | कार, जीप, टैक्सी-सूमो आदि | 50.00 | कार, जीप, टैक्सी-सूमो आदि | 30.00 | 100.00 | 20.00 |
| 3 | टैम्पो, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा | 30.00 | टैम्पो, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा | 20.00 | 50.00 | 10.00 |
| 4 | मोटर साईकिल, स्कूटर | 10.00 | मोटर साईकिल, स्कूटर | 10.00 | 20.00 | 05.00 |
| 5 | साईकिल | 02.00 | साईकिल | 02.00 | 05.00 | 02.00 |

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा वृन्दावन,
मथुरा।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम Yugesh Kumar Yadav पुत्र आनन्द कुमार यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 6227 7836 2916 में युग अंकित हो गया है। जो उसका घरेलू नाम हैं भविष्य में मेरे पुत्र को Yugesh Kumar Yadav पुत्र आनन्द कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

रेनू यादव पत्नी आनन्द कुमार यादव पता–शिवपुरम कॉलोनी बंधवा ताहिरपुर, हेतापुर, फूलपुर, प्रयागराज।

रेनू यादव

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नवीन कुमार केसरवानी पुत्र स्व0 सुन्दर लाल केसरवानी है। जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में अंकित है त्रुटिवश मेरे रेलीगेयर बुकिंग लिमिटेड के शेयर कस्टमर आई डी0 13026907 इक्विटी INE 040H01021 व INE 040H20013 में मेरा नाम नवीन कुमार पुत्र स्व0 सुन्दर लाल केसरवानी अंकित हो गया है। उपर्युक्त दोनो नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नवीन कुमार केसरवानी पुत्र स्व0 सुन्दर लाल केसरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

नवीन कुमार केसरवानी,
पुत्र स्व0 सुन्दर लाल केसरवानी
पता– 105/202 महावीर विहार,
पानदरीबा, प्रयागराज।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स ब्लूदीप पेन्टस एण्ड कैमिकल्स, सी–33/1, मेरठ रोड गाजियाबाद–201003 की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 02 अगस्त,2022 के अनुसार श्रीमती पूजा बत्रा एवं श्री कुनाल बत्रा साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को श्रीमती ऋचा बत्रा सम्मिलित हुई है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को श्रीमती पूजा बत्रा अपना हिसाब–किताब ले–देकर अलग हो गई है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार श्री कुनाल बत्रा एवं श्रीमती ऋचा बत्रा साझीदार है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुनाल बत्रा,
साझीदार,
मेसर्स ब्लूदीप पेन्टस एण्ड कैमिकल्स,
सी–33/1, मेरठ रोड,
गाजियाबाद–201003

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सगुन इण्डेन ग्रामीण वितरक तरकुलवा देवरिया उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 02 फरवरी, 2021 से श्री अरूण कुमार यादव एवं श्रीमती मुघानी देवी जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 DEO/0008743 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म कि साझेदार श्रीमती मुघानी देवी जी की मृतक दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को हो जाने के कारण विघटन डीड दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 से उक्त फर्म को विघटित किया जा रहा है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

अरूण कुमार यादव,
मेसर्स सगुन इण्डेन ग्रामीण,
वितरक तरकुलवा देवरिया उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 गोल्डन इंजीनियरिंग वर्क्स, 14/44 शाह कमल रोड, अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री राशिद वशीर, श्री मोहम्मद आसिफ श्री शाहीद वशीर निवासीगण हमदर्द नगर–बी, जमालपुर अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 24 मार्च, 2012 को संचालन की थी। दिनांक 02 जनवरी, 2023 से श्री मोहम्मद असिफ फर्म से पृथक

हो गये है। अब फर्म को श्री राशिद वशीर, श्री शाहीद वशीर निवासीगण जमालपुर अलीगढ़ हम दोनों साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

राशिद वशीर,
साझेदार।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में0 अरविन्द कुमार शिवहरे कन्ट्री लिकर शॉप, ए–10 राहुल विहार, शमशाबाद रोड आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री अरविन्द कुमार शिवहरे, श्री ऋषि रंजन शिवहरे, श्री अतुल कुमार शिवहरे, श्रीमती ममता शिवहरे, श्रीमती सोनिया शिवहरे, श्रीमती पुष्पा रानी, श्रीमती शीतल शिवहरे निवासीगण राहुल विहार शमशाबाद रोड, राजपुर चुंगी आगरा हम सभी साझेदारों नें अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल 2015 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से श्री केतन शिवहरे, कु0 सृष्टि शिवहरे, कु0 कात्यायनी शिवहरे फर्म में साझेदार हो गये है। अब फर्म को श्री अरविन्द कुमार शिवहरे, श्री ऋषि रंजन शिवहरे, श्री अतुल कुमार शिवहरे, श्रीमती ममता शिवहरे, श्रीमती सोनिया शिवहरे, श्रीमती पुष्पा रानी, श्रीमती शीतल शिवहरे, श्री केतन शिवहरे, कु0 सृष्टि शिवहरे, कु0 कात्यायनी शिवहरे हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

अरविन्द कुमार शिवहरे,
साझेदार।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में0 अतुल कुमार शिवहरे कन्ट्री लिक्वर शॉप, ए–10 राहुल विहार, शमशाबाद रोड, राजपुर चुंगी, आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री अतुल कुमार शिवहरे, श्री ऋषी रंजन शिवहरे, श्री अरविन्द कुमार शिवहरे, श्रीमती पुष्पा रानी, श्रीमती शीतल शिवहरे निवासीगण राहुल विहार शमशाबाद रोड, राजपुर चुंगी आगरा हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 02 अप्रैल, 2010 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से श्रीमती ममता शिवहरे, श्री श्रीमती सोनिया शिवहरे, श्री केतन शिवहरे, कु0 सृष्टि शिवहरे, कु0 कात्यायनी शिवहरे फर्म में साझेदार हो गये है। अब फर्म को श्री अतुल कुमार शिवहरे, श्री ऋषि रंजन शिवहरे, श्री अरविन्द कुमार शिवहरे, श्रीमती पुष्पा रानी, श्रीमती शीतल शिवहरे, श्रीमती ममता शिवहरे, श्रीमती सोनिया शिवहरे, श्री केतन शिवहरे, कु0 सृष्टि शिवहरे, कु0 कात्यायनी शिवहरे, हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

अतुल कुमार शिवहरे,
साझेदार।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में0 ममता शिवहरे कन्ट्री लिकर शॉप एण्ड इंग्लिस वाइन शॉप्स, इंग्लिस वाइन शॉप, अर्जुन नगर आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्रीमती ममता शिवहरे, श्री ऋषि रंजन शिवहरे, श्रीमती शीतल शिवहरे, श्री ऋषभ शिवहरे, श्री अतुल कुमार शिवहरे, श्री अरविन्द कुमार शिवहरे, श्रीमती पुष्पा रानी, श्रीमती सोनिया शिवहरे, श्री शलोक शिवहरे, श्री केतन शिवहरे, कु0 सृष्टि शिवहरे निवासीगण राहुल विहार, शमशाबाद रोड, राजपुर चुंगी, आगरा हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से कु0 कात्यायनी शिवहरे फर्म में साझेदार हो गई है। अब फर्म को श्रीमती ममता शिवहरे, श्री ऋषि रंजन शिवहरे, श्रीमती शीतल शिवहरे, श्री ऋषभ शिवहरे, श्री अतुल कुमार शिवहरे, श्री अरविन्द कुमार शिवहरे श्रीमती पुष्पा रानी, श्रीमती सोनिया शिवहरे, श्री शलोक शिवहरे, श्री केतन शिवहरे, कु0 सृष्टि शिवहरे, कु0 कात्यायनी शिवहरे हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

श्रीमती ममता शिवहरे,
साझेदार।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में0 पी0एन0जे0 एनक्लेव, एफ–173,174 रमेश विहार, रामघाट रोड, अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती शशि चौधरी, श्री शिवेन्द्र सिंह, कु0 शिवानी सिंह, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती ऊषा चौधरी, श्री अजय चौधरी

निवासीगण आई0टी0 आई0 रोड, अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को संचालन की थी। दिनांक 18 सितम्बर, 2023 से श्री प्रशान्त अग्रवाल, श्री हेमन्त चौधरी फर्म में साझेदार हो गये हैं दिनांक 18 सितम्बर, 2023 से श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती शशि चौधरी, श्री शिवेन्द्र सिंह, कु0 शिवानी सिंह फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री प्रताप सिंह, श्रीमती ऊषा चौधरी, श्री अजय चौधरी, श्री प्रशान्त अग्रवाल, श्री हेमन्त चौधरी हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे एवं फर्म का पूर्व पता– एफ–173,174 रमेश विहार, रामघाट रोड, अलीगढ को परिवर्तित कर नया पता– ए–26 मानसरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, जिला अलीगढ़ कर दिया गया है।

प्रताप सिंह,
साझेदार।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हरीशचन्द्र सिंह 102/955 मोहद्दीपुर पॉवर हाउस रोड जनपद गोरखपुर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 जुलाई, 2017 से श्री हरिश्चन्द्र सिंह, श्री विजय कुमार राय व श्रीमती वीना एवं नेहा सिंह जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 G-4625 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदार श्री हरिश्चन्द्र सिंह जी की मृतक दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को हो चुकी है, यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 01 जनवरी, 2024 से नेहा सिंह जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो चुकी है तथा प्राची राय जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुई। यह कि उकत फर्म की साझेदार श्रीमती वीना राय जी की मृतक दिनांक 13 मार्च, 2024 को हो चुकी है, अब साझेदारी डीड 16 मार्च, 2024 से उक्त फर्म में क्रमशः श्री विजय कुमार राय एवं प्राची राय जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

विजय कुमार राय/साझेदार,
मेसर्स हरीशचन्द्र सिंह 102/955,
मोहद्दीपुर पॉवर हाउस रोड,
जनपद गोरखपुर उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म ''मेसर्स गरीब नवाज कोल्ड स्टोरेज'', सारोतोप कन्नौज, उत्तर प्रदेश–209725 जिसकी पंजीकरण सं0 KNJ/0002833 है। फर्म में आठ (08) पार्टनर्स श्री नफीस अली, श्री नईफ अली, श्री दिलशाद अली, श्री अनीश अली, श्री रहीस अली, श्री शमशुल खॉन श्री नावेद खॉन और श्रीमती नवीला खॉन थे। पार्टनरों श्री नफीस अली, श्री नईफ अली, श्री दिलशाद अली, श्री अनीश अली और श्री रहीस अली द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 को त्याग–पत्र/रिटायरमेन्ट लेकर फर्म से अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है। त्याग/रिटायरमेन्ट लेने वाले पार्टनरो की फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में तीन पार्टनरर्स श्री शमशुल खॉन, श्री नावेद खॉन और श्रीमती नवीला खॉन है।''

श्री शमशुल खॉन

## सूचना

फर्म मेसर्स– पी0एस0 होम्स, कानपुर नगर का पता परिवर्तित हो गया है। फर्म का पता दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से एम0 आई0 जी0 262, स्कीम नं0–1 आवास विकास, पनकी रोड, काल्यानपुर, कानपुर नगर के स्थान पर फ्लैट नं0 101 विजन इन्क्लेव, स्कीम नं0 3, अम्बेडकरपुरम्, सेक्टर–6 कल्यानपुर, कानपुर नगर, उ0प्र0 सभी पार्टनरों की सहमती से कर लिया गया है।

विनोद सिंह चंदेल।
पार्टनर

## सूचना

फर्म मेसर्स– आर0पी0एस0 होम्स, कानपुर नगर का पता परिवर्तित हो गया है। फर्म का पता दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से एम0आई0जी0, 262, स्कीम नं0–1, आवास विकास, पनकी रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर के स्थान पर फ्लैट नं0 101, विजन इन्क्लेव, स्कीम नं0 3, अम्बेडकरपुरम् सेक्टर–6, कल्यानपुर, कानपुर नगर, उ0प्र0 सभी पार्टनरों की सहमति से कर लिया गया है।

हरी प्रताप सिंह,
पार्टनर।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स– कॉसमॉस आईएनसी, ग्राम कुम्भी परगना एण्ड तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात की पार्टनर श्रीमती रेनू भाटिया पत्नी श्री मनीष भाटिया निवासिनी 7/170 स्वरूपनगर, कानपुर नगर उक्त फर्म से स्वेच्छा से हट गयी है तथा फर्म का विघटन हो गया है।

मयंक मिश्रा,
पार्टनर,
मेसर्स– कॉसमॉस आईएनसी,
ग्राम कुम्भी परगना,
एण्ड तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मेरी माता का सही नाम गमला मिश्रा है, जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंकपत्र सह प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक 5239640) में मेरी माता का नाम कमला सिंह अंकित हो गया है। जो गलत है। अंकुर मिश्रा पुत्र सुरेश दत्त मिश्रा ग्राम व पो0 बैरीपुर रामनाथ मनकापुर जिला गोण्डा उत्तर प्रदेश, पिन कोड–271302।

अंकुर मिश्रा

## सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बुनियाद बाकर रिज़वी पुत्र श्री याद हसन रिज़वी है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन-कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के हाईस्कूल अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक–5152988) में तथा इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक 23685539) में मेरा नाम फवाद अस्करी अंकित हो गया है, जो मेरा उर्फ नाम है।

बुनियाद बाकर रिज़वी,
पुत्र श्री याद हसन रिज़वी,
27/6क,राजराम मोहनराय मार्ग,
उतरौला हाउस कैम्पस,
हजरतगंज, लखनऊ।

## NOTICE

I Ranveer Singh S/o Harpal Singh R/o 109 Shivpuri Road, Near Om Shanti Green Colony, Behind Rajghat Colony, Jhansi U.P. do hereby affirm that in my Pan Card No. CHIPS5611N my name has been wrongly entered as Ranveer Sengar S/o Harpal Sengar. Whereas in my Adhaar Card No. 708986325394 my name has been written as Ranveer Singh S/o Harpal Singh which is correct. Hence it may be entered accordingly.

Deponent,
Ranveer Singh S/o Harpal Singh
R/o 109 Shivpuri Road, Near Om Shanti Green Colony, Behind Rajghat Colony, Jhansi U.P.

## NOTICE

I Virendra Kumar Shukla, son of Ram Surat Shukla, resident of A-2-73, Awas Vikas Colony, Jhalwa, Prayagraj, declare that the correct name of my son is Pranav Krishna Shukla, in the High School certificate, Pranav Krishna Shukla is mentioned, while in the Aadhaar Card (Aadhaar no. 883902896179) it is Pranav Kumar Shukla which is wrong, my son's real name is Pranav Krishna Shukla (Pranav Krishna Shukla) should be read and understood.

Virendra Kumar Shukla
S/o Ram Surat Shukla
R/o A-2-73 Awas Vikas
Colony, Jhalwa, Prayagraj

पी0एस0यू0पी0–6 हिन्दी गजट–भाग 8–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।